न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 54 / 2022

1. रणजीत पुत्र मनीराम जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. नवीन पुत्र धर्मपाल जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— — वादीगण

बनाम

1. मनीराम पुत्र नानकराम जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. धर्मपाल पुत्र मनीराम जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. लीलावती पुत्री मनीराम जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. नानू देवी पुत्री मनीराम जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. निर्मला पुत्री धर्मपाल जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. नूतन पुत्री धर्मपाल जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88, 53 घोषणा एंव खाता विभाजन

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता —— **वादीगण**
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता —— **प्रतिवादी सं. 1 ता 6**
3. राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा —— **प्रतिवादी सं. 7**

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 23/02/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वाद के पक्षकारों का रजिस्टर्ड पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है ।

वादीगण हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है जो परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है ।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 25 पीबीएन के खाता सं. 121 के प.नं. 19/341 की 2.113 हैक. में से 1050/2113 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व अभिलेख है।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 25 पीबीएन के खाता सं. [illegible] के प.नं. 19/340, 19/341, 20/341 की कुल 3.214 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व अभिलेख है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:49 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र की दफा 3–4 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की श्रम व मेहनत से अर्जित कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वादीगण के दादा श्री

23/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

इन्तकाल ने राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज करवाई और सम्पूर्ण कृषि भूमि संयुक्त परिवार द्वारा संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है इस प्रकार से वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है । अर्सा समय पूर्व वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य घरू घरू बंटवारा हुआ और घरू घरू बंटवारा के समय प्रतिवादी सं 1 ने अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण, प्रतिवादी सं. 2 ने अपना समस्त हक व हिस्सा वादी सं 2 के पक्ष मे, प्रतिवादी सं. 3-4 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी सं 5-6 ने अपना हक व हिस्सा वादी सं. 2 के पक्ष मे मौखिक रूप से त्याग कर दिया तत्पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि का आपसी बंटी व काश्त अनुसार वादीगण को निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुई:-

क वादी सं 1 रणजीत को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
25 पीबीएन	137	19/340	18/.0485, 22/.076	
			23/.253	0.3775 हैक.
		19/341	1/.164, 2	0.417 हैक.
		20/341	5/1, 5/2, 6/1, 6/2	
			7, 8, 11 ता 14	1.366 हैक.
			कुल तादादी	**2.1605 हैक.**

ख. वादी सं. 2 नवीन को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
25 पीबीएन	121	19/341 की कुल 2.113 हैक. मे से 1.050 हैक.		
	137	19/340	5, 6, 14 ता 16	
			17/1, 17/2, 18/.0025	
			उत्तरी पूर्वी कुट	**1.0535 हैक.**

वादीगण का कब्जा वाद पत्र की दफा 5"क-ख" मे वर्णितानुसार कृषि भूमि पर घरू बंटवारा के समय से चला आ रहा है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 5"क-ख" मे वर्णितानुसार कृषि भूमि की घोषणा एवं खाता तकसीम करवाने के अधिकारी है जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:49 IST
Reason: SelfAttested

घोषित किया जावे कि वादीगण [illegible] की दफा 3 मे स्व. देवीलाल के नाम वर्णित 1/4 हिस्सा की कृषि [illegible]कार है जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा

23/04/2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार वंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृ टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] धारा 88, 53 के अन्तर्गत मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि का वादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:49 IST
Reason: SelfAttested

क. वादी सं. 1 रणजीत को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी

23/02/2022
सहायक कलक्टर एवं

25 पीबीएन	137	19/340	18/.0485, 22/.076	
			23/.253	0.3775 हैक.
		19/341	1/.164, 2	0.417 हैक.
		20/341	5/1, 5/2, 6/1, 6/2	
			7, 8, 11 ता 14	1.366 हैक.
			कुल तादादी	2.1605 हैक.

ख. वादी सं. 2 नवीन को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमिः—

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
25 पीबीएन	121	19/341	की कुल 2.113 हैक. मे से	1.050 हैक.
	137	19/340	5, 6, 14 ता 16	
			17/1, 17/2, 18/.0025	
			उत्तरी पूर्वी कुट	1.0535 हैक.

प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

23/04/2022

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:49 IST
Reason: SelfAttested